being made which has been fixed on the basis of past lifting in the States/UTs. The monthly quotas of rice and wheat fixed for Gujarat under TPDS from June, 1997, as compared to the pre-TPDS quotas, are as under:

(In '000 MTs.)

Rice			Wheat		
TPDS					
BPL	APL	Total	BPL	APL	Total
—	18.00	18.00	20.00	29.50	49.50
Pre-TPDS					
—	—	35.00	—	—	70.00

The monthly quota of rice and wheat fixed for Gujarat under TPDS in June, 97 is thus, less than the monthly quota given to the State during the pre-TPDS period. However, additional allotment of foodgrains are also made to the States/UTs keeping in view the availability of foodgrains in Central Pool and the food subsidy budget.

UNICEF Report on the State of World's Children

1861. SHRI RAJ NATH SINGH: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have received the recent UNIFEF report revealing the State of the World's chilren;

(b) if so, the salient features thereof so fare as they relate to Indian children;

(c) the action taken/proposed to be taken on the suggestions/recommendations made in the report; and

(d) if the answer to part (a) above be in the negative, then whether Government would obtian a copy of the report?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI DALIT EZHILMALAI): (a) Yes, Sir.

(b) The main focus of the Report in general is on Malnutrition. In so far as Indian children are concerned, the Report highlights that the Under Five Mortality has declined from 236 in 1960 to 111 in 1996. The Infant Mortality for 1996 has been mentioned as 73 and 33% Children are of Low Birth Weight, 21% suffer from severe underweight, 51% Indian Women exclusively Breastfeed their Chilren upto 3 months of age, while 67% continue Breastfeeding upto 23 months of age and 9% Children between 6—11 months suffer from goitre.

(c) Immunisation, Control of Acture Res/oratpru- Diseases and Diarrhoeal Dieseases, Essential newborn care, prophylaxis against Vitamin A Dificiency and Iron deficiency, anaemia, supplementary feeding programmes and programmes for combating specific micronutrient deficiency diseases are being implemented to improve the nutritional status, and to bring down Infant and Child Mortality.

(d) Question does not arise

नकली दवाओं के विनिर्माण और बिक्री की घटनाओं में वृद्धि

1862. **श्री अखिलेश दास:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महानगरों में नकली दवाओं के निर्माण, वितरण और बिक्री से संबंधित मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है;

3312/RS F-4A

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नकली दवाओं का प्रयोग मानव जीवन के लिए अत्यंत खतरनाक और घातक है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) और (ख) राज्य सरकारों से प्राप्त फीड बैक दर्शाता है कि महानगरों में नकली औषधों के उत्पादन, वितरण और बिक्री की घटनाओं में तेज वृद्धि नहीं हुई है। 1984—96 के वर्षों के दौरान औषध नियंत्रण संगठन द्वारा देश के विभिन्न भागों में जांच किए गए नमूनों की संख्या और उनमें से नकली पाए गए नमूनों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण दिया गया है। (**नीचे देखिए**)।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—

(i) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के औषध नियंत्रकों को वार्षिक परामर्शदात्री समिति की बैठकों के जरिए समय-समय पर सलाह दी जाती है कि वे उत्पादित, वितरित की गई और बेची गई औषधों पर कड़ा गुणवत्ता नियंत्रण रखें और नकली औषधों के उत्पादन तथा वितरण की समस्या को दबाने के लिए अपने प्रवर्तन तंत्र तथा औषध जांच सुविधाओं में तेजी लाएं और जब कभी औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उल्लंघन का पता चले तो कड़ी कार्यवाही करें।

(ii) महाराष्ट्र, तमिलनाडु और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने नकली औषधों के संचलन पर निगरानी रखने के लिए गुप्तचर सह-विधिक कक्ष बनाएं हैं। जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं तो औषधों के नमूने नकली (डिकाइ) ग्राहकों के माध्यम से खरीदें जाते हैं और ऐसे परिसरों का निरीक्षण करने से पहले नमूनों की गुणवत्ता के लिए शीघ्रता से जांच की जाती है।

विवरण

1984—96 की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के औषध नियंत्रण संगठनों द्वारा जांचे गए और नकली पाए गए नमूने

वर्ष	जांचे गए नमूनों की सं०	नकली पाए गए नमूनों की संख्या	कुल का प्रतिशत
1984-85	18504	48	0.259
1985-96	19035	32	0.168
1986-87	26387	72	0.272
1987-88	26545	31	0.116
1988-89	27696	56	0.202
1989-90	26787	35	0.130
1990-91	31474	125	0.397
1991-92	34337	96	0.279
1992-93	22236	30	0.14
1993-94	31924	82	0.26
1994-95	29769	81	0.27
1995-96	30981	72	0.23